क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक - 17 | सितंबर 1-15, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

ब्रिक्स समूह के देशों का 15वां शिखर सम्मेलन

पांच सदस्यीय देशों वाले ब्रिक्स (बी.आर.आई.सी.एस.) समूह के नेताओं का 15वां शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त, 2023 के दौरान सैंडटन, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ब्रिक्स 5 देशों – ब्राजील, रूस, हिन्दोस्तान, चीन और दक्षिण अफ्रीका – का एक समूह है। ये पांच देश दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। वे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 26 प्रतिशत हिस्सा (डॉलर के साथ देश की मुद्रा के विनिमय दर के अनुसार) उत्पन्न करते हैं। क्रय शक्ति समता (पर्चेसिंग पॉवर पैरिटी) के नज़रिये से, इन पांच देशों की संयुक्त जीडीपी जी–7 देशों (अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली और कनाडा) से अधिक है। बैठक में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, हिन्दोस्तान के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भाग लिया।

पांच ब्रिक्स देश खुद को "उभरते बाज़ार और विकासशील देश" (ईएमडीसी) कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसे वैश्विक आर्थिक मंचों पर अपने लिए बेहतर सौदेबाजी करने के उद्देश्य से, ब्रिक्स देश पहली बार 2009 और 2010 में एक साथ आए थे। इन वैश्विक आर्थिक मंचों पर अमरीका और उसके जी–7 सहयोगियों का वर्चस्व है। ब्रिक्स देशों की शिकायत है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनके बढ़ते योगदान के बावजूद, इन वैश्विक वित्तीय संस्थानों में उनकी भूमिका सीमित है। वे इन संस्थानों में अपनी भूमिका बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

शिखर सम्मेलन ने घोषणा की कि 1 जनवरी, 2024 से 6 देशों को ब्रिक्स के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये है अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरातं। कुल मिलाकर, विस्तारित मंच में दुनिया के चार सबसे बड़े तेल निर्यातक देश (सऊदी अरब, रूस, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात) और दुनिया के दो सबसे बड़े तेल आयातक (चीन और भारत) इसके सदस्य हैं।

2015 में, ब्रिक्स देशों ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से वे विभिन्न देशों में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को धन देंगे। एनडीबी इन पांच देशों के नियंत्रण में है। एनडीबी की परिकल्पना अमरीका द्वारा नियंत्रित वैश्विक वित्तीय संस्थानों का मुक़ाबला करने के इरादे के साथ की गई है।

एक और मुद्दा जिस पर ब्रिक्स देश एकजुट हुए हैं, वह यह मांग है कि अमरीका और अन्य विकसित पूंजीवादी देश ग्लोबल वार्मिंग (पृथ्वी का तापमान बढ़ना) और जलवायु संकट के लिए ज़िम्मेदारी का प्रमुख हिस्सा स्वीकार करें। हरित ऊर्जा और विभिन्न तकनीकी विकास के माध्यम से पर्यावरण के प्रदूषण को ख़त्म करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का बोझ ब्रिक्स देशों या अन्य कम विकसित पूंजीवादी देशों पर नहीं डाला जा सकता है, जो हाल के वर्षों में ही औद्योगीकरण करना शुरू कर रहे हैं। अमरीका और अन्य विकसित पूंजीवादी देशों, जिन्होंने ऐतिहासिक तौर पर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दिया है, उनको इसकी क़ीमत चुकानी होगी।

चिंता का हालिया मुद्दा अमरीका और उसके सहयोगियों द्वारा रूस के ख़िलाफ़ प्रतिबंधों का एकतरफ़ा इस्तेमाल है। दुनिया के लोगों और देशों ने बड़ी चिंता के साथ देखा है कि कैसे अमरीका ने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट करने के लिए, इस बात का दुरुपयोग किया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापर में डॉलर को रिज़र्व करेंसी (यानि प्रत्येक देश की केन्द्रीय तिजौरी में डॉलर का अनिवार्य भण्डार होना) माना जाता है। कई देश अमरीकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों ने व्यक्तिगत रूप से अमरीकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश की है, जबकि उन्होंने अपनी–अपनी मुद्राओं में दुतरफा व्यापार बढ़ाया है।

इन परिस्थितियों में ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन की कार्यवाहियों में कई अन्य देशों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के 50 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। 40 से अधिक देशों ने समूह में शामिल होने में रुचि दिखाई है और कम से कम 22 देशों ने सदस्यता के लिए औपचारिक रूप

शेष पृष्ठ 2 पर

टोरेंट पावर लिमिटेड के ख़िलाफ़ भिवंडी के लोगों का जुझारू संघर्ष

मुंबई के क़रीबी शहर भिवंडी के सैकड़ों लोग टोरेंट पावर से "आज़ादी" की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे। इससे पहले 21 जुलाई को भी भिवंडी के दस हजार से ज्यादा लोगों ने "टोरेंट हटाओ भिवंडी बचाओ", के नारे के तहत प्रदर्शन किया था। दोनों जुझारू कार्रवाइयों में भिवंडी शहर तथा पड़ोसी गांवों से बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। वे सभी लोग "टोरेंट अत्याचार विरोधी जन संघर्ष समिति" के बैनर तले एकजुट हुए हैं।

भिवंडी मुंबई के नजदीक का एक शहर है, जहां मुख्य रूप से मज़दूर वर्ग और आदिवासी आबादी रहती है। भिवंडी के मेहनती लोगों के लिए पावरलूम, रेडीमेड कपड़ा, विशाल भंडारण और वितरण गोदाम, परिवहन और खेती, आजीविका के मुख्य स्रोत हैं। हजारों लोगों के विरोध के बावजूद, तत्कालीन कांग्रेस के अगुवाई वाली महाराष्ट्र की सरकार ने 2007 में भिवंडी में बिजली का वितरण टोरेंट पावर लिमिटेड को सौंप दिया था। तभी से भिवंडीवासी टोरेंट पावर से नाराज़गी जताते हुए, इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। परन्तु, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भाजपा और शिवसेना सहित सभी पूंजीवादी पार्टियों ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

पिछले कुछ महीनों में स्थिति चरम बिंदु पर पहुंच गई है। टोरेंट पावर के अधिग्रहण के बाद से बिजली के बिलों में हुई भारी बढ़ोतरी से लोग नाराज़ हैं। पावरलूम और कपड़ा उद्योग की दुर्दशा के लिए बिजली की ऊंची क़ीमत को मुख्य कारणों में से एक बताया जाता है। टोरेंट पावर के अधिकारियों के मनमाने व्यवहार, बिजली के ख़राब मीटरों के तेज़ चलने और उपभाक्ताओं के बिल हजारों या लाखों में आने, निवासियों के ख़िलाफ़ बिजली चोरी के झूठे मामले दर्ज़ करने, आदि से लोग नाराज़ हैं।

बैठकों में कई महिला–पुरुष वक्ताओं ने घोषणा की कि यदि टोरेंट को भिवंडी से बाहर नहीं किया गया तो और भी आंदोलन किये जायेंगें तथा किसी भी विधायक, सांसद, नगरसेवक, आदि को शहर में घुसने नहीं दिया जायेगा। इससे साफ़ पता चलता है कि वे पूंजीपतियों की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की मीठी–मीठी बातों से मूर्ख बनने को तैयार नहीं हैं। लोगों के इस रुख़ ने पूंजीपतियों की विभिन्न पार्टियों के स्थानीय नेताओं को टोरेंट पावर के ख़िलाफ़ आंदोलन में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया है।

कामगार एकता कमेटी, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, भिवंडी जन संघर्ष समिति, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर ने भी इस संघर्ष का समर्थन किया है। इन संगठनों द्वारा निकाले गए एक संयुक्त पर्चे में उन्होंने भिवंडी के लोगों से आग्रह किया है कि वे मांग करें कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को वही करना चाहिए जो लोग कह रहे हैं और

शेष पृष्ठ 4 पर

अंदर पढ़ें

- संपत्तियों को गिराने की निन्दा 2
- वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक का विरोध 2
- मज़दूरों–किसानों का सम्मेलन 3
- पंजाब में किसानों का संघर्ष 3
- फ़सल बीमा से पूंजीवादी लूट 4
- फ़सल बीमा मुआवज़े के लिये किसानों का संघर्ष 4
- ओ.पी.एस. के लिये महारैली 5
- तमिलनाडु के स्वास्थ्य कर्मियों की रैली 5

हरियाणा सरकार द्वारा लोगों की संपत्तियों को ढहाये जाने की निन्दा की जानी चाहिए

हरियाणा में मेवात क्षेत्र के लोग जब भयानक सांप्रदायिक हिंसा से उबरने की कोशिश कर रहे थे, तभी राज्य सरकार ने नूंह में लोगों के घरों और संपत्तियों को ढहाने के लिए बुलडोज़र भेज दिए। आगे की और तोड़फोड़ पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाये जाने से पहले ही एक हजार से अधिक घरों और संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया था। सैकड़ों परिवारों ने अपने घर और आजीविका के स्रोत खो दिये हैं। इससे पहले, गुरुग्राम में काम करने वाले हिन्दोस्तान के अन्य राज्यों के हज़ारों कामकाजी लोगों को सांप्रदायिक हमलों में निशाना बनाने के कारण हरियाणा से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

हरियाणा सरकार यह कह रही है कि वह 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच मेवात क्षेत्र में हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा दे रही है। सच्चाई यह है कि हरियाणा सरकार ही इस हिंसा के लिए ज़िम्मेदार है। इसने जानबूझकर नूंह की सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की एक भड़काऊ रैली करने की अनुमति दी। इसके बाद इसने अगले दिनों में घरों और संपत्तियों के साथ–साथ मुसलमानों के पूजा स्थलों पर हमला करने के लिए भीड़ों का आयोजन किया। हरियाणा सरकार ने दिखा दिया है कि वह लोगों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्य को निभाने में असमर्थ और अनिच्छुक है। यदि कमान की ज़िम्मेदारी के सिद्धांत के पालन की बात की जाए तो हरियाणा सरकार ही कटघरे में खड़ी है। इसके बजाय सरकार अपनी भूमिका से ध्यान भटकाकर जनता पर दोष डाल रही है। इसने लोगों पर और भी हमले शुरू कर दिये हैं।

यह बताया गया है कि नूंह में विध्वंस में विभिन्न रियल एस्टेट के हित शामिल थे। यह असंभव नहीं है कि हरियाणा सरकार ने ऐसे रियल एस्टेट डेवलपर्स, जो लोगों की जमीन पर क़ब्जा करना चाहते है उनके हितों को पूरा करने के लिए नूंह में सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद विध्वंस का आयोजन किया है। पूरा सच जो भी हो, हरियाणा सरकार की हरकतें निंदनीय हैं।

नूंह में जो कुछ हो रहा है वह पहले से बनाई एक योजना के मुताबिक है। ऐसी ही योजनाएं देश के कई अन्य हिस्सों में लागू की जा रही हैं। राज्य अपने एजेंटों को सक्रिय करता है जो धार्मिक रैलियों में घुसपैठ करने के लिए धार्मिक लोगों का भेष धारण करते हैं और लोगों के ख़िलाफ़ उकसावे की कार्रवाई करते हैं। और फिर वह होने वाली हिंसा के लिए पीड़ितों को दोषी ठहराता है। विध्वंस करने वाले दल पीछे रहते हैं। जिसका उद्देश्य लोगों को आतंकित करना, लोगों की एकता और अधिकारों के लिए हो रहे उनके साझे संघर्ष को तोड़ना है।

हरियाणा सरकार द्वारा नूंह में लोगों के घरों और संपत्तियों को निशाना बनाकर ध्वस्त करने की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। सरकार की हरकतों की कोई सफाई नहीं दी जा सकती है। पूरे देश में न्यायप्रिय लोगों द्वारा इसकी निंदा जायज़ है।

http://hindi.cgpi.org/23879

मिजोरम विधानसभा ने वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 का विरोध किया

25 अगस्त को मिजोरम की विधानसभा ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 का विरोध करते हुए, एक आधिकारिक प्रस्ताव अपनाया। संसद के किसी भी सदन में बिना किसी चर्चा के 4 अगस्त को पारित होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद, यह एक अधिनियम बन जाएगा।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मिजोरम के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा विधेयक के विरोध में पेश किए गए प्रस्ताव पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा हुई। केवल एक सदस्य – एक भाजपा विधायक – ने असहमति जताई लेकिन अन्य सभी ने इसका समर्थन किया।

प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए मंत्री ने "मिजोरम के लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने की आवश्यकता" पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही संशोधित विधेयक पर अपना विरोध जताती रही है। इसने कई अवसरों पर केंद्र सरकार और संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) को पत्रों के ज़रिए अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। हालांकि, 1,309 विरोध पत्र और सुझाव मिलने के बावजूद भी जेपीसी विधेयक को मंजूरी देने के लिए आगे बढ़ी और यह संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया।

मिजोरम हिन्दोस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित राज्यों में से एक है। जिसकी एक लंबी सीमा पूर्व में म्यांमार के साथ और पश्चिम में बांग्लादेश के साथ लगती है। वन संरक्षण अधिनियम (1980) में किये गये नए संशोधन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर तक स्थित सारी वन भूमि अधिनियम के दायरे से बाहर हो गई है। ऐसी वन भूमि का उपयोग केंद्र सरकार केवल राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर रणनीतिक परियोजनाओं के लिए कर सकती है। ऐसी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप विस्थापित होने वाले प्रभावित लोगों की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधेयक के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए, मंत्री ने राज्य के वन क्षेत्र के लिए होने वाले ख़तरे पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संशोधित वन संरक्षण अधिनियम मिजोरम के वन क्षेत्र को "पूरी तरह से खत्म" कर सकता है।

मिजोरम विधानसभा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "इस प्रावधान पर कड़ी आपत्ति है और यह स्वीकार्य नहीं है।" इस क्षेत्र के अन्य राज्यों जैसे कि नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम ने भी 100 किलोमीटर की छूट के प्रावधान का विरोध किया है।

http://hindi.cgpi.org/23879

ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन

पृष्ठ 1 का शेष

से आवेदन किया है। यह दिखाता है कि विभिन्न देश एक ऐसे समूह में शामिल होने की व्यापक रुचि रखते हैं, जो उनके हितों के लिए फ़ायदेमंद होगा।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के आपस–बीच तथा दूसरे देशों के साथ, अपनी–अपनी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

शिखर सम्मेलन में यह घोषणा की गयी कि 1 जनवरी, 2024 से 6 देशों को ब्रिक्स के सदस्य के रूप में शामिल किया जाने वाला है। ये अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। कुल मिलाकर देखा जाये तो इस विस्तारित समूह में दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश में से चार (सऊदी अरब, रूस, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात) तथा दुनिया के दो सबसे बड़े तेल आयातक देश (चीन और हिन्दोस्तान) सदस्य हैं।

शिखर सम्मेलन का विषय था "ब्रिक्स और अफ्रीका : पारस्परिक त्वरित विकास, टिकाऊ विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी"। इस प्रकार, चीन, हिन्दोस्तान और रूस, जिनका अफ्रीका के विभिन्न देशों में पर्याप्त निवेश है, ने इस समूह को अमरीका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के विकल्प के रूप में पेश किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने घोषणा की कि ये पांच सदस्य देश, जो सभी जी–20 के सदस्य हैं, संयुक्त रूप से जी–20 में अफ्रीकी संघ (अफ्रीकन यूनियन) की सदस्यता के लिए ज़ोर देंगे।

एक समूह के बतौर, ब्रिक्स देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के कम विकसित पूंजीवादी देशों, जिन्हें 'ग्लोबल साउथ' के नाम से जाना जाता है, के नेता के रूप में खुद को पेश करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर, अमरीका की प्रधानता वाले जी–20 समूह में हिन्दोस्तान कम विकसित देशों के प्रवक्ता के रूप में खुद को पेश करके, उसमें अपनी जगह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगले दो वर्षों में, जब ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका क्रम से जी–20 की अध्यक्षता करेंगे, तो वे जी–20 मंच पर कम विकसित देशों की समस्याओं को उठाना जारी रखेंगे। यह घोषणा, कि ब्रिक्स देश इस साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले जी–20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के एजेंडे में अफ्रीकी संघ की सदस्यता को रखेंगे, उसे इसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

अगर हम आज दुनिया की गतिविधियों का विश्लेषण करें, तो अमरीका जिन–जिन देशों को अपने एकध्रुवीय दुनिया स्थापित करने के सपने को हासिल करने के रास्ते में रुकावट मानता है, उन देशों को अलग–थलग करके, उन पर हमला करके अपना वर्चस्व स्थापित करने और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। अमरीका संयुक्त राष्ट्र संघ के असूलों का घोर हनन कर रहा है और अपने रास्ते में रुकावट बनने वाले देशों को कमजोर करने या नष्ट करने के लिए सैनिक हमले व आर्थिक प्रतिबंध जैसी एकतरफा कार्यवाहियां कर रहा है। दूसरी ओर, रूस, चीन और कई अन्य देशों के हुक्मरान वर्ग बहु–ध्रुवीय दुनिया में अपने कच्चे माल के स्रोतों, बाज़ारों और प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं।

इन हालतों में, हिन्दोस्तान का हुक्मरान वर्ग अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए दांवपेच कर रहा है। अमरीका के साथ रणनैतिक संबंध बनाने के साथ–साथ, वह ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से अपने कच्चे माल के स्रोतों, बाज़ारों और प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है।

http://hindi.cgpi.org/23879

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन

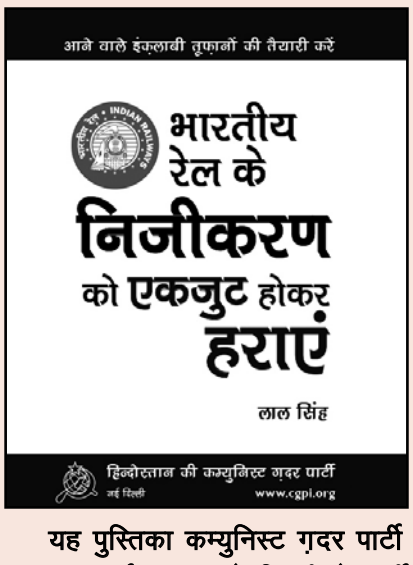

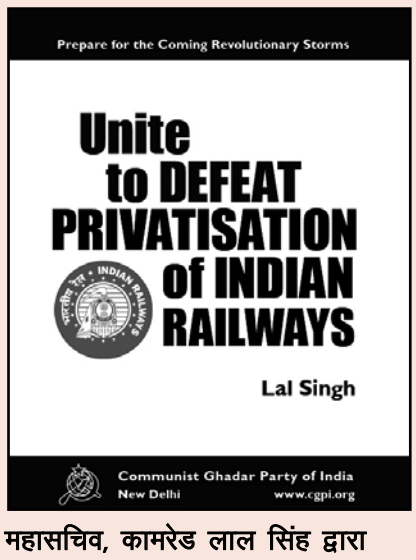

यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी।
इस पुस्तिका को मंगाने के लिये संपर्क करें : 9868811998, 9810167911

मज़दूरों और किसानों का सर्व हिन्द संयुक्त सम्मेलन

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

24 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, फेडरेशनों, एसोसियेशनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन ने सरकार की मज़दूर–विरोधी, किसान–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ एकजुट संघर्ष को तेज़ करने का ऐलान किया।

इस सम्मेलन में अनेक किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों और अर्थव्यवस्था के विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों से जुड़ी फेडरेशनों तथा एसोसियेशनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें रेल, डिफेंस, बैंक, बीमा, उड्डयन, स्वास्थ्य सेवा व पानी सप्लाई के क्षेत्रों के मज़दूरों, स्थानीय निकायों के कर्मियों, रेहड़ी–पटरी मज़दूरों और घरेलू कामगारों, आदि ने भाग लिया।

मज़दूर एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में सक्रियता से हिस्सा लिया।

देश–भर के मज़दूरों और किसानों की मांगों को प्रकट करते हुए कई बैनर लगाये गए थे, जिन पर लिखे कुछ नारे इस प्रकार थे : "सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो!", "मज़दूरों–किसानों और मेहनतकशों की एकता ज़िंदाबाद!", "मज़दूर–विरोधी चार श्रम संहिता रद्द करो!", "ठेकादारी प्रथा समाप्त करो!", "बिजली का निजीकरण समाज के हितों के ख़िलाफ़ है!", "महंगाई

और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ संघर्ष तेज़ करो!", "बैंक, रेल, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बेचना बंद करो!", "समान काम का समान वेतन लागू करो!", "देश की दौलत पैदा करने वालों, देश के मालिक बनो!", आदि।

कई मज़दूर और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सम्मलेन को संबोधित किया। मज़दूरों, किसानों तथा मेहनतकश जनता पर केन्द्र सरकार की नीतियों के भयानक परिणामों का आकलन किया गया।

जीवन की ज़रूरी चीजों की बढ़ती क़ीमतों, सुरक्षित रोज़गार का अभाव, भयंकर बेरोज़गारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की आसमान छूती क़ीमतें, कृषि के लागत की वस्तुओं पर सब्सिडी हटा दिया जाना और किसानों की उपज के लिए एम.एस.पी. व सुनिश्चित सरकारी ख़रीदी न होना, इन तमाम समस्यायों को सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़े गुस्से के साथ उठाया।

किसानों ने दिल्ली की सरहदों पर अपने 13 महीने लम्बे धरने को सरकार के जिन वादों के आधार पर समाप्त किया था, उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है – इस पर सम्मलेन को संबोधित करने वाले अनेक नेताओं ने ज़ोर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबारों और सेवाओं – रेल व सड़क परिवहन, बिजली आपूर्ति, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, खनन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, इत्यादि – को निजी इजारेदार पूंजीवादी घरानों के हाथों कौड़ियों के मोल पर बेचना जारी है। सरकारी विभागों में रिक्त स्थानों पर कोई नयी भर्ती नहीं की जा रही है। ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। चार लेबर कोड के ज़रिये, मज़दूरों के हक़ों का खुलेआम हनन किया जा रहा है।

इन सब–तरफा हमलों के ख़िलाफ़ मज़दूरों और किसानों के एकजुट संघर्ष को कुचलने के लिए, हुक्मरानों की "बांटो और राज करो" की नीति, सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करने की नीति लगातार जारी है, जिसकी सभी वक्ताओं ने जमकर निंदा की।

सम्मेलन में मज़दूरों और किसानों की मांगों के एक चार्टर को अपनाया गया।

इस संयुक्त आन्दोलन को आगे ले जाते हुए, सम्मलेन में कुछ कार्यक्रमों की घोषणा की गयी। 3 अक्तूबर, 2023 (जिस दिन पर 2021 में लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार हुआ था) को काला दिवस के रूप में मनाते हुए कथित साज़िशकर्ता, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्ख़ास्त करने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की जाएगी। 26 से 28 नवम्बर 2023 तक, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में राजभवनों के सामने दिन–रात महापड़ाव का आयोजन किया जायेगा (26 नवम्बर, 2020, श्रमिकों द्वारा अखिल भारतीय आम हड़ताल का दिन था और किसानों द्वारा संसद तक ऐतिहासिक मार्च का पहला दिन था)। दिसम्बर 2023 और जनवरी 2024 को देशभर में दृढ़ और व्यापक संयुक्त विरोध प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे ।

http://hindi.cgpi.org/23879

पंजाब में किसान संगठन संघर्ष की राह पर

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

पंजाब के किसान संगठन बाढ़ व असामयिक वर्षा से फ़सलों को हुयी क्षति के लिए पर्याप्त मुआवज़े की मांग को लेकर संघर्ष में उतरे हैं।

जुलाई के महीने में हुई असामयिक वर्षा की वजह से, पंजाब के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। कई गांवों के लोग बेघर हो गए। किसानों की हजारों–हजारों एकड़ धान की फ़सल पानी में डूब कर नष्ट हो गई। पशु मारे गए। किसानों के इस संकट की ओर न तो केन्द्र सरकार ने ध्यान दिया है और न ही राज्य सरकार ने। पंजाब में 16 किसान यूनियनों की संयुक्त जत्थेबंदियां, पंजाब तथा हरियाणा में बाढ़ से हुए नुक़सान के लिए मुआवज़े सहित कई अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। इस संयुक्त जत्थेबंदी में किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी, भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी), बीकेयू (एकता आज़ाद), आज़ादी किसान कमेटी (दोआबा), बीकेयू (बहराम) और भूमि बचाओ मुहिम, आदि शामिल हैं।

आंदोलित किसान फ़सल के नुक़सान के लिए 50,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवज़े की मांग कर रहे हैं, क्षतिग्रस्त घर के लिए 5 लाख रुपये और बाढ़ में मरने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए 10 लाख रुपये के मुआवज़े की मांग कर रहे हैं। वे पशुओं की मृत्यु और बोरवेल ख़राब होने पर मुआवज़े मांग रहे हैं। इसके अलावा, वे बाढ़ के पानी का स्थाई समाधान, खेतों में भरी रेत को उठाने की इजाज़त, एक साल के लिए क़र्ज़ माफ़ी, 23 फ़सलों के लिए एम.एस.पी. की गारंटी और मनरेगा के

तहत साल में 200 दिन तक के काम की मांग कर रहे हैं।

18 अगस्त, 2023 को पंजाब सरकार के साथ किसान यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। उस वार्ता में पंजाब सरकार ने किसानों की मांगों में से बहुत ही सीमित मांगों को मानने का आश्वासन दिया। पंजाब सरकार ने बाकी मांगों को केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी बताकर टाल दिया।

इसके विरोध में किसानों ने 22 अगस्त, 2023 को चंडीगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना आयोजित किया था। लेकिन राज्य की पुलिस और सुरक्षा बलों ने धरने पर ज़बरदस्ती रोक लगाने की कोशिश की और विभिन्न किसान यूनियनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार व नज़रबंद कर लिया। इसके विरोध में विभिन्न जिलों में किसानों ने पुलिस थानों और टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किये।

मोगा जिले के गांव मैहना में किसानों ने धरना दिया। यह धरना पुलिस द्वारा किसान जत्थेबंदियों को 22 अगस्त को चंडीगढ़ पहुंचने से रोके जाने के बाद से शुरू हो गया था। कपूरथला में किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी की अगुवाई में ढिलवां टोल प्लाजा पर धरना दिया गया। वहां पुलिस ने संघर्षरत 44 किसान नेताओं को हिरासत में लेकर तीन थानों में बंद कर दिया।

फिरोजपुर और फरीदकोट में भी किसान कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़, किसानों ने जमकर धरने और विरोध प्रदर्शन आयोजित किये।

जिला संगरूर के लोंगोवाल इलाके में, बठिंडा–चंडीगढ़ सड़क पर चंडीगढ़ की ओर जा रहे किसानों के काफिले को पुलिस ने जबरन रोक दिया। किसान संगठन बीकेयू (आज़ाद) के नेताओं को पुलिस ने गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जिसका किसानों ने ज़बरदस्त विरोध किया। इस विरोध के चलते, एक किसान की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गयी। कई किसान जख़्मी हो गये। पुलिस ने कई किसानों पर संगीन मामले दर्ज़ किये। क्रोधित किसानों ने थाने के बाहर धरना दिया।

तरनतारन में किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी के प्रधान सरवन सिंह पंधेर, सुरजीत सिंह बहराम तथा कई अन्य किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। अन्य किसान यूनियनों के कई नेताओं और पदाधिकारियों को उन्हीं के घरों में नज़रबंद कर दिया गया और बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। पुलिस की इस कार्यवाही के विरोध में किसान भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए। किसान टोल प्लाज़ा के पास धरने पर बैठ गए। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर ऐसे धरने आयोजित किये गये।

किसानों के आन्दोलन को रोकने के लिए, चंडीगढ़ की सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गयी। हरियाणा के किसान संगठनों के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को अंबाला में शंभू बार्डर पर हिरासत में ले लिया गया।

लेकिन जगह–जगह पर विरोध प्रदर्शन और धरने के ज़रिये किसानों का संघर्ष अनवरत जारी रहा है।

हालिया समाचार के अनुसार, किसानों के अडिग संघर्ष के चलते पंजाब सरकार ने 4 सितम्बर को किसान जत्थेबंदियों के प्रतिनिधियों को फिर से वार्ता के लिए बुलाया है।

http://hindi.cgpi.org/23879

फ़सल बीमा के ज़रिए किसानों की पूंजीवादी लूट

फ़सल बीमा का उद्देश्य है कि किसानों को अत्यधिक बारिश या सूखे, चक्रवात, बीमारियों और कीटों आदि के कारण फ़सलों को होने वाले नुकसान की समस्या से निपटने में मदद मिले।

पिछले पांच दशकों में, हिन्दोस्तान की सरकार ने फ़सल बीमा की कई राष्ट्रीय योजनाएं शुरू कीं। इनमें सबसे हाल में शुरू की गयी फ़सल बीमा योजनाएं हैं – प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) और पुनर्गठित मौसम पर आधारित फ़सल बीमा योजना (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.वाई.)। इन दोनों योजनाओं को 2016 में शुरू किया गया था।

पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत किसानों को, ख़रीफ़ के मौसम में धान और गेहूं की फ़सलों के बीमा के लिए बीमा राशि का 2 प्रतिशत और रबी के मौसम में 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनियों को करना पड़ता हैं। दोनों मौसमों में होने वाली अन्य फ़सलों के बीमा के लिए किसान 5 प्रतिशत का भुगतान करते हैं। बीमा–कंपनियों के प्रीमियम का शेष भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें बराबरी से करती हैं।

पिछले सात वर्षों के आंकड़े, जब से ये दोनों योजनाएं शुरू की गई हैं, दिखाते हैं कि इन योजनाओं से सबसे बड़ा लाभ उन पूंजीवादी कंपनियां को हुआ है जिन्होंने इन योजनाओं के तहत अपने फ़सल बीमा व्यवसायों का विस्तार किया है।

तालिका–1 में दिखाया गया है कि 2018–19 के दौरान धान और गेंहू उगाने वाले किसानों में कितने प्रतिशत की फ़सलों को नुक़सान हुआ और उनमें से कितने प्रतिशत किसानों को फ़सल बीमा का लाभ मिला। जबकि 35 प्रतिशत से अधिक किसानों की फ़सल का नुकसान हुआ तो उनमें से 10 प्रतिशत से भी कम को फ़सल बीमा से लाभ हुआ।

तालिका 1 : धान और गेंहू उगाने वाले किसानों में कितने प्रतिशत की फ़सलों को नुक़सान हुआ और उनमें से कितने प्रतिशत किसानों को फ़सल बीमा का लाभ मिला

2018–19	धान (ख़रीफ़)	गेहूं (रबी)
फ़सल में नुकसान से पीड़ित किसान–परिवारों का प्रतिशत	38.4 प्रतिशत	35.1 प्रतिशत
फ़सल बीमा का लाभ उठाने वाले किसान–परिवारों का प्रतिशत	8.3 प्रतिशत	6.8 प्रतिशत
स्रोत : स्थिति–आकलन सर्वेक्षण, 2018–19; एन.एस.एस., 77वां राउंड		

तालिका 2 : फ़सल बीमा के लिये जमा की गई प्रीमियम और कंपनियों द्वारा क्लेम के लिये किये गये भुगतान

वर्ष	प्रीमियम (करोड़ रुपये)	क्लेम (करोड़ रुपये)	अंतर (करोड़ रुपये)
2016–17	21,950	16,827	5,123
2017–18	24,468	22,088	2,380
2018–19	29,698	29,337	3,61
2019–20	32,362	27,373	4,989
2020–21	31,690	20,771	10,919
2021–22	29,598	17,881	11,717
2022–23	27,901	5,761	22,140
स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय			

पिछले सात वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों द्वारा वसूले गये प्रीमियम और किसानों के दावों का बीमा कंपनियों द्वारा किये गये निपटान और भुगतान के बीच की राशि का अंतर तालिका 2 में प्रस्तुत किये गए आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं।

देखा जा सकता है कि पिछले सात साल के दौरान, बीमा कंपनियों को प्रीमियम के तौर पर कुल मिलाकर 1,97,657 करोड़ रुपये मिले हैं। बीमा कंपनियों ने इस अवधि के दौरान, किसानों को दावों के रूप में लगभग 1,40,036 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह अंतर जिसकी राशि लगभग 57,000 करोड़ रुपये है, यह इन बीमा कंपनियों द्वारा बनाया गया मुनाफ़ा है।

फ़सल बीमा व्यवसाय से जुडी प्रमुख कंपनियां हैं – रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड, इफको टोकियो, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनिवर्सल सोम्पो, बजाज आलियांज और एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इनमें से एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस के अलावा बाकी की पांच कंपनियों निजी स्वामित्व वाली हैं।

http://hindi.cgpi.org/23872

फ़सल बीमा मुआवज़े के लिये सिरसा में किसानों का संघर्ष

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

16 अगस्त, 2023 की दोपहर को हरियाणा के जिला सिरसा में किसानों ने ख़रीफ़ 2022 में ख़राब हुई फ़सल के लिये बीमा मुआवज़े की राशि का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर भावदीन टोल पर अनिश्चितकालीन धरना दिया।

धरना स्थल पर किसानों की ओर से लंगर, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की गईं। धरने में भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान व अन्य सदस्य उपस्थित थे।

धरने के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को जाम कर दिया गया। हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ धरने पर पहुंचे। आंदोलित किसानों ने फ़सल बीमा के मुआवज़े का भुगतान न होने पर अपना गुस्सा प्रकट किया।

फ़सल बीमा के मुआवज़े के लिए सिरसा के किसान बीते 100 दिनों से चोपटा क्षेत्र में धरना दे रहे हैं। किसानों ने पहले नाथूसरी चोपटा तहसील कार्यालय पर धरना–प्रदर्शन किया था। उसके बाद 16 दिनों से चार किसान, गांव नारायणखेड़ा में जलघर की टंकी पर चढ़कर, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। न सरकार सुनने को तैयार है और न ही बीमा कंपनी। इस जिले के 1.32 लाख किसानों की 641 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि अटकी हुई है।

इस संघर्ष के चलते कंपनी ने 4011 किसानों को 18,29,37,554 रुपए जारी कर दिए हैं, लेकिन इस बीमा मुआवज़े पर कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाया है। यह मामला अब हिन्दोस्तान की सरकार की टेक्निकल कमेटी में जाकर अटक गया है।

किसानों ने अपनी मांग की ओर सरकार और बीमा कंपनी का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना के दौरान भूख हड़ताल की। हड़तालियों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में इलाज कराया गया। अंत में, सरकार की ओर से मांगों पर ध्यान न दिए जाने पर, 13 अगस्त को किसानों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर 15 अगस्त को उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वे भावदीन टोल प्लाजा पर जाम लगाएंगे। इसी बीच 14 अगस्त को सरकार ने किसानों के खातों में कुछ थोड़ी सी राशि जारी की है। इससे किसान संतुष्ट नहीं हैं।

18 अगस्त की रात को सरकार और किसानों के बीच वार्ता हुई। इस वार्ता में सरकार ने किसानों को फ़सल बीमा के मुआवज़े को 30 दिन के भीतर देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही भावदीन पर अनिश्चितकालीन धरना ख़त्म हुआ।

http://hindi.cgpi.org/23872

टोरेंट पावर लिमिटेड के ख़िलाफ़ भिवंडी के लोगों का जुझारू संघर्ष

पृष्ठ 1 का शेष

इसलिए टोरेंट पावर को भिवंडी से बाहर फेंक दें। पर्चे में भिवंडी के लोगों को धर्म और जाति के आधार पर टोरेंट पावर के ख़िलाफ़ लोगों की एकता को तोड़ने के प्रयासों से सावधान रहने के लिए भी आगाह किया गया।

15 अगस्त के कार्यक्रम में बहुत स्पष्ट शब्दों में मांग उठाई गई कि "महाराष्ट्र की राज्य सरकार को तुरंत टोरेंट पावर से बिजली वितरण, बिल संग्रह आदि का नियंत्रण छीन लेना चाहिए और इसे महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड को सौंप देना चाहिए।"

भिवंडी के आंदोलन से प्रेरित होकर, ठाणे शहर के उपनगर कलवा के लोगों ने भी कुछ बैठकें कीं, जहां नागरिकों ने टोरेंट पावर के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा व्यक्त किया, उन्हीं कारणों से जो भिवंडी के लोगों ने उठाए थे। 2019 के मध्य से मुंब्रा, कलवा, दिवा (मुंबई के नजदीक के उपनगर) आदि के लोग टोरेंट पावर को एक साल से अधिक समय तक रोकने में सफल रहे हैं। कामगार एकता कमेटी ने कई अन्य स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर उस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई थी। परन्तु, कोविड लॉकडाउन की स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए, अचानक अप्रैल 2020 में टोरेंट पावर को इन क्षेत्रों में बिजली वितरण का काम सौंप दिया गया। अब टोरेंट पावर के ख़िलाफ़ लोग संगठित होने लगे हैं।

2014 के बाद से, देशभर के बिजली क्षेत्र के कर्मचारी बिजली संशोधन विधेयक को पारित करने के केंद्र सरकार के कई प्रयासों को रोकने में क़ामयाब रहे हैं। यह बिजली क्षेत्र के मज़दूरों के विभिन्न वर्गों में बहुत मजबूत और लड़ाकू एकता तथा मज़दूर वर्ग के अन्य संगठनों और बड़े पैमाने पर लोगों के समर्थन के कारण संभव हुआ है। इस विधेयक के पारित होने से वितरण के सबसे लाभदायक हिस्सों का निजीकरण हो जाएगा और उपभोक्ताओं के बिलों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।

महाराष्ट्र के बिजली क्षेत्र के मज़दूरों के जुझारू और एकजुट प्रतिरोध ने भी महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कम से कम अस्थायी रूप से महाराष्ट्र के 16 प्रमुख शहरों के बिजली वितरण को सौंपने के घोषित इरादे को रोक दिया है।

भिवंडी, कलवा आदि के लोगों द्वारा जो संघर्ष शुरू किया गया है वह निश्चित रूप से बिजली उपभाक्ताओं को इसी तरह के एकजुट कार्यों के लिए प्रेरित करेगा।

http://hindi.cgpi.org/23872

पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर महारैली

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

10 अगस्त, 2023 को पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग को लेकर, विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के एक लाख से ज्यादा मज़दूरों ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 'पेंशन अधिकार महारैली' में अपनी आवाज़ बुलंद की।

इस महारैली को ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम (जे.एफ.आर.ओ.पी.एस.) – नेशनल ज्वाइंट कांउसिल आफ एक्शन (एन.जे.सी.ए.) की अगुवाई में आयोजित किया गया था। इसमें सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लगभग 30 संगठन शामिल हैं।

इस महारैली में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे रेल, डाक, प्रतिरक्षा, शिक्षा, बैंक, बीमा आदि के मज़दूर शामिल हुए। उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई थी, जिन पर लिखा था – 'न ज्यादा, न कम, हमें चाहिए पुरानी पेंशन!', 'मैं भी पुरानी पेंशन की हक़दार हूं!', हमारा भविष्य पुरानी पेंशन!', बुढ़ापा का सहारा पुराना पेंशन!', 'मज़दूर एकता ज़िंदाबाद!', 'एक ही मिशन, पुरानी पेंशन!', 'एन.पी.एस. गो बैक!' आदि।

रैली को संबोधित करते हुए विभिन्न संगठनों के नेताओं ने एक सुर में नई पेंशन को ख़त्म करने तथा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग रखी। मंच से स्पष्ट रूप से ऐलान किया गया कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग

पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जायेगी।

रैली में शामिल रेल मज़दूरों ने बताया कि 2004 से पूर्व भर्ती हुये कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेन्ट के समय एक निश्चित पेंशन (अन्तिम वेतन का 50 प्रतिशत) की गारंटी थी जबकि नई पेंशन योजना में पेंशन कितनी मिलेगी यह निश्चित नहीं है। यह पूरी तरह शेयर मार्केट व बीमा कंपनी पर निर्भर है।

एन.जे.सी.ए. के राष्ट्रीय संयोजक और ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (ए.आई.आर.एफ.) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि एक जनवरी 2004 के बाद जो लोग सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, वे कर्मचारी नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) का कड़ा विरोध कर रहे हैं। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि वह हमारी पुरानी पेंशन लागू करे नहीं तो ये जो सैलाब आज दिल्ली आया है, यह पूरा देश को भी जाम करेगा और हम भारत बंद करेंगे।

2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू थी। उसके तहत, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। वह पेंशन कर्मचारी के सेवानिवृत्ती के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। उस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। परन्तु उस स्कीम को सरकार ने 1 अप्रैल 2004 में बंद करके नयी पेंशन स्कीम – राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) लागू कर दी है।

मंच ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) को समाप्त करने और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा का प्रस्ताव पेश किया। रैली ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया।

यह बताया गया कि 21 अगस्त, 21 सितंबर और 21 अक्तूबर को संयुक्त रूप से मीटिंग, रैलियां, जुलूस, धरने, सेमीनार आदि आयोजित किए जाएंगे। 21 और 22 नवम्बर 2023 को बिना गारंटी वाले एन.पी.एस. को रद्द करने व गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की एकल सूत्रीय मांग के समर्थन में 'अनिश्चितकालीन हडताल' के लिए सभी घटक संगठनों से गुप्त मतपत्र लिया जाएगा।

रैली के बाद संयुक्त रूप से देश के प्रधानमंत्री के नाम, सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) को रद्द करने और सभी केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों आदि, चाहे उनकी नियुक्ति की तारीख कोई भी हो, उन सबके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग की गयी।

http://hindi.cgpi.org/23872

तमिलनाडु के स्वास्थ्य कर्मियों की अपने अधिकारों की रक्षा में रैली

वर्कर्स यूनिटी मूवमेंट के संवाददाता की रिपोर्ट

18 अगस्त, 2023 को तमिलनाडु के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये रैली का आयोजन किया। चेन्नई के राजरतिनम स्टेडियम में आयोजित इस रैली में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। इनमें नर्स, एम्बुलेंस कर्मचारी, पैरामेडिकल तकनीशियन और आयुष कर्मचारी शामिल थे।

इस रैली का आयोजन सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सी.ओ.आई.टी.यू.) ने किया था। 108 एम्बुलेंस वर्कर्स यूनियन ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑल नर्सेस यूनियन, तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ नर्सेस यूनियन, तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ आयुष वर्कर्स यूनियन, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑक्ज़िलरी वर्कर्स यूनियन, तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ पैरामेडिकल टेक्नीशियन वर्कर्स यूनियन और तमिलनाडु एड्स कंट्रोल ऑल स्टॉफ वेल्फेयर यूनियन के नेताओं ने रैली को संबोधित किया।

तमिलनाडु सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीक़े से स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करने और सरकारी अस्पतालों के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को निजी ठेकेदारों को सौंपने की पृष्ठभूमि में यह रैली आयोजित की गई थी। सरकार सभी सुविधाओं, भवनों और बुनियादी ढांचे सहित कई सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों के हाथों में सौंप रही है, जिससे वे अधिकतम मुनाफ़ा कमा सकेंगे।

सरकारी अस्पतालों को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है। उनमें स्टाफ की कमी है। पूरे तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में नर्सों की 50 प्रतिशत कमी है। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल तकनीशियनों, वार्ड सहायकों,

आयुष कर्मचारियों, 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों और अन्य मज़दूरों की भारी कमी है। जिससे लोगों को दी जाने वाली चिकित्सा सेवाएं ख़राब हो रही हैं। हरेक डॉक्टर को प्रतिदिन औसतन लगभग 400 मरीजों का इलाज करना पड़ता है। प्रत्येक नर्स को वार्ड में 50 से अधिक बिस्तरों के मरीजों की देखभाल करनी होती है। एक सफ़ाई कर्मचारी को चार बड़े–बड़े वार्डों या उससे भी अधिक वार्डों की सफ़ाई और देखभाल करनी होती है। डॉक्टरों, नर्सों, सहायकों और एम्बुलेंस कर्मियों सहित अधिकांश स्वास्थ्य कर्मियों को 11 महीने की निश्चित अवधि के अनुबंध पर रखा जा रहा है।

तमिलनाडु सरकार बहुत ही आक्रमकता से अस्पतालों के मज़दूरों की संख्या में कटौती कर रही है और महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाओं का निजीकरण कर रही है। जिन सेवाओं को निजी ऑपरेटरों को आउटसोर्स किया गया है उन सभी के लिए मरीजों को ऊंची फीस चुकानी पड़ रही है।

ठेकेदारों द्वारा काम पर रखे गए चिकित्सा और सहायक कर्मियों को एक तरफ़ तो बहुत कम वेतन दिया जा रहा है तो साथ ही साथ उन्हें बिना किसी बुनियादी अधिकार और सामाजिक सुविधा के दिन में 12–14 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

नर्सों के बीच बंटवारा करने के लिये उन्हें अनुबंधित नर्स, एम.आर.बी. नर्स, दैनिक वेतन नर्स, जिला स्वास्थ्य समिति नर्स, आदि का नाम दिया गया है। उन्हें नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन, चिकित्सा अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, जीवन यापन के खर्च के अनुसार वेतन वृद्धि सहित अन्य अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। यही बात आयुष कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, 108 एम्बुलेंस मज़दूरों, आदि के लिए भी सच है।

आंदोलनकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों की यूनियनों के नेताओं ने काम की इन शोषणकारी परिस्थितियों के साथ–साथ, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर लोगों की दुर्दशा के बारे में बात की।

कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार सभी विभागों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती करे, सेवाओं के निजीकरण या आउटसोर्सिंग को तुरंत बंद करे, सभी ठेका कर्मियों को सरकारी कर्मचारी बतौर उनकी नौकरियों को नियमित करे, साप्ताहिक अवकाश प्रदान करे, सभी कर्मचारियों के अनुभव, कौशल और जीवन–यापन के खर्च के अनुसार मंहगाई को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन के स्तर में वृद्धि करे। मज़दूरों ने 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करने की भी मांग की।

उन्होंने मांग की है कि जिन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं जैसे कि 108 एम्बुलेंस, वार्ड सहायक, सहायक मज़दूर आदि, जिनको निजी कंपनियों या ठेकेदारों को सौप दिया गया है, उन्हें तुरंत सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग के तहत वापस लाया जाए।

मज़दूरों की एकता को और मजबूत करने तथा सभी मांगों के पूरा होने तक लड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ रैली का समापन किया गया।

सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा कर्मचारियों के क्रूर शोषण और काम की अमानवीय परिस्थितियां दर्शाती हैं कि सरकार लोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता की और सस्ता इलाज तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति उदासीन और बेपरवाह है।

http://hindi.cgpi.org/23872

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Sep, 2023, Date of publish - 1 Sep, 2023

To

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

राजस्थान की नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर जयपुर में रैली की

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

25 अगस्त, 2023 को राजस्थान नर्सेज़ संयुक्त संघर्ष समिति की अगुवाई में नर्सों ने जयपुर के रामनिवास बाग के पास रामलीला मैदान परिसर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक विशाल रैली की। इस रैली में जिला अस्पतालों, ग्रामीण चिकित्सालयों व प्राथमिक चिकित्सालयों में काम करने वाले हजारों नर्स शामिल हुए। रैली में 5 सितंबर से आम हड़ताल की घोषणा की गयी है। रैली के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया।

5 सितम्बर की हड़ताल से पहले, नर्सों ने घोषित किया है कि वे तरह–तरह के विरोध प्रदर्शनों के ज़रिये, अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सभी चिकित्सा संस्थानों में सुबह 8 से 10 बजे तक प्रति दिन दो घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आने वाले 27 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा।

इसके पहले 14 अगस्त, 2023 को राजस्थान नर्सेज़ संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर, राजस्थान के विभिन्न जिला अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च और मशाल जलूस निकाले। प्रदर्शनकारी नर्सों ने अपनी मांगों को रखते हुए, राज्य सरकार के ख़िलाफ़ जमकर नारे लगाये। 15 अगस्त को आज़ादी दिवस पर चल रहे धरना स्थलों पर झंडा रोहण करके नर्सों की मांगों को बुलंद किया गया। नर्सों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती, तो 25 अगस्त को जयपुर में विशाल रैली और प्रदर्शन करेंगे। 16 से 24 अगस्त के बीच, सभी ग्रामीण तथा शहरी जिला अस्पतालों के सामने गेट मीटिंग किये जाने की घोषणा की गयी।

25 अगस्त को राजस्थान नर्सेज़ संयुक्त संघर्ष समिति की अगुवाई में नर्सों की रैली

सवाई माधो सिंह अस्पताल के सामने स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन

नर्सों की मांगें

राजस्थान के नर्सें कई महीनों से अपने संघर्ष को तेज़ करते आ रहे हैं।

24 जून को राजस्थान नर्सेज़ एसोसियेशन तथा राजस्थान राज्य नर्सेज़ एसोसियेशन एकीकृत समेत नर्सों के कई अन्य संगठन नर्सों की 11 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर एकजुट हुए थे। उन्होंने राजस्थान नर्सेज़ संयुक्त संघर्ष समिति गठित करके राज्यव्यापी संघर्ष का ऐलान किया था और आगे संघर्ष की रणनीति तैयार की थी।

आंदोलित नर्सों की मुख्य मांगें हैं कि – नर्सिंग शिक्षा सेवाओं और उच्च विभागीय नर्सिंग प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाये; नर्सिंग शिक्षकों के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए; वेतन और भत्तों को केंद्र सरकार के संस्थानों के समान किये जायें; संविदा नर्सेज़ का नियमितिकरण किया जाए तथा प्लेसमेंट एजेंसी से भर्ती पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए; नर्सिंग आफिसर, नर्सिंग ट्यूटर और प्रधानाचार्य के सभी अधिकारों को सुनिश्चित किया जाये; समयबद्ध पदोन्नति नीति लागू की जाए; रियायती दरों पर आवासीय भूखंड आवंटित कर नर्सिंग कालोनी स्थापित की जाए; नर्सों को अस्पताल के अतिरिक्त कामों पर लगाने पर रोक लगाई जाये; अलग नर्सिंग निदेशालय की स्थापना की जाये, इत्यादि।

18 जुलाई से पूरे राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 घंटे काम के बहिष्कार का ऐलान किया गया था। लेकिन जब सरकार ने इसके बावजूद नर्सों की मांगों को नज़रंदाज़ किया, तो 1 अगस्त से सम्पूर्ण राजस्थान के चिकित्सालयों, चिकित्सा केन्द्रों और नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सें अपनी मांगों को लेकर, क्रमवार 2 घंटे के विरोध प्रदर्शन और द्वार सभाएं कर रही हैं। 2 से 9 अगस्त तक ग्रामीण चिकित्सालयों व प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर 2 घंटे की गेट मीटिंग की गई। 10 अगस्त को नर्सों ने अपनी मांगों के समर्थन में तथा सरकार की मज़दूर–विरोधी तथा जन–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़, जिला अस्पताल से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक, नारों सहित मार्च किया।

इन सभाओं और प्रदर्शनों के दौरान नर्सों ने आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रखने का फ़ैसला किया है, ताकि लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता रहे।

http://hindi.cgpi.org/23879

मणिपुर में महिलाओं पर हिंसा का विरोध

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

मणिपुर में महिलाओं के साथ किये गए वीभत्स अपराध और देश में नारियों पर बढ़ते यौन उत्पीड़न और हिंसा के विरोध में 14 अगस्त, 2023 की शाम को बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा गोलंबर पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन को वनिता महिला संगठन की अगुवाई में आयोजित किया गया था। महिलाओं, मजदूरों और नौजवानों ने पूरे जोश के साथ इसमें भागीदारी की। इस अवसर पर सहभागी संगठनों के प्रतिनिधियों ने लोगों को संबोधित किया और महिलाओं पर बढ़ती हिंसा के ख़िलाफ़ संघर्ष तो तेज़ करने का आह्वान किया।

http://hindi.cgpi.org/23879

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com